तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 18/2021 बअनवान मृतक किशन नारायण का.मु. पारसमल वगै. बनाम मृतक सुआदेवी का.मु. छगनलाल का.मु. छगनी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत उप.। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वादीगण ने एक वाद बाबत् अधिकार घोषणा, निरस्त करने म्यूटेशन, स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा रामसीन के दो सेटलमेंट प्रभाव में आये हैं, वर्तमान वाद से सम्बन्धित भूमियों के पुराने खसरा संख्या 240, 241 कुल रकबा 20.11 बीघा रहा हैं, जिसके नये सेटलमेंट अनुसार समरूपी खसरा संख्या 316 रकबा 13.10 बीघा बना जो संवत 2031 तक नरसिंग पुत्र पुरखा के खातेदारी रहा, वाद में मुख्य अनुतोष खसरा संख्या 316 का 2/3 हिस्सा बराबर 09 बीघा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टियां कौम भील(तीरगर) को दुरस्त करने एवं म्यूटेशन संख्या 415, 577 को अपास्त करने की हैं, व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अनुसांगिक हैं, वादी के गोदपिता वेनाराम या दादा नरसिंगाराम कभी भी भील नहीं रहे, नरसिंहजी वादी के हक पूर्वाधिकारी दादा रहे हैं, जिनकाा देहान्त संवत 2032 में हुआ, तीरगर समाज में गोद लेने की परम्परा रही है, वादी एवं वादी के जायंदा पिता तीलाराम व वादी के गोदपिता वेनाराम हिन्दू विधि के मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वेनाराम की फौतगी व तीजों की फौतगी पर जो फौतगी म्यूटेशन भरे गये, उसमें वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था, किन्तु सहवन से नहीं हुआ, सम्पूर्ण हिस्सा पहले तीजों के नाम व फिर सुआ के नाम दर्ज हो गये, जबकि तीजों ने अपने जीवनकाल में लिखित वसीयतनामा भी वादी के पक्ष में रूपये 10/– के स्टाम्प पर दिनांक 23.03.2002 को निष्पादित कर सुपुर्द किया जा चुका था, इस प्रकार उक्त भूमि में गोदपुत्र होने के नाते 1/3 हिस्सा व जरिये वसीयत तीजोदेवी से प्राप्त हुआ 1/3 हिस्सा बराबर 2/3 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पूर्णतया प्रमाणित किया मगर उस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2003(1) Page 216

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद पत्र में आज तक स्वयं को तीजोदेवी एवं उसके पति वेनाराम के द्वारा गोद लिया जाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, न ही वादी को उसकी गोद माता व पिता द्वारा उसे कब गोद लिया गया, उसकी कोई तिथि वार या वर्ष उल्लेख नहीं किया है, साथ ही वादी द्वारा पेश तथाकथित वसीयत नामा भी अंकित भिन्न–भिन्न तकमील करने की तारीख जोधपुर के अधिवक्ता द्वारा नोटरी से अनुप्रमाणित स्वयं में संदिग्ध है, तथा तथाकथित गोद जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा अपने सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज में आज रोज तक अपने जन्मदाता पिता तिलाराम दर्ज करवाये जाने से वादी के तथाकथित गोदपुत्र होने व उसके पक्ष में वसीयत नामा निस्पादित होने की सत्यता की जांच सिवील न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाटगण हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2012(2) Page 1412
RRT 2018(1) Page 172
RRT 2001(2) Page 1223
RRD 1997 Page 301
RRT 2020(2) Page 889

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनरथ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को तकनीकी आधार पर ही खारिज किया गया। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। वाद में न तो तनकीयात कायम की गई है तथा निर्णय भी तनकीवार पारित नहीं किया गया। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2013 बअनवान किशन नारायण बनाम सुआदेवी वगै. में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर